Rajasthan Police Academy

News Letter

संयुक्तांक

(जनवरी से मार्च 2020)

(अप्रेल से जून 2020)

(जुलाई से सितम्बर 2020)

महानिदेशक पुलिस की कलम से ...

पुलिस सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए अपिरहार्य है। महात्मा गांधी का कथन ''समाज की परिकल्पना सेना के बिना की जा सकती है किन्तु पुलिस के बिना नहीं'', इस तथ्य को पुष्ट करता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में पुलिस को अपने परम्परागत कर्त्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ नवीन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जहाँ एक ओर हमें परम्परागत अपराध की रोकथाम तथा अनुसंधान पर कार्य करना है वहीं नई आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए अपने कर्त्तव्य निवर्हन में नई तकनीकों, विधिक अवधारणाओं तथा कार्यविधियों को भी अपनाना होगा।

इसका ज्वलन्त उदाहरण हमने वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान देखा जिसमें पुलिस विभाग का एक नया चेहरा सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ सामाजिक सरोकार के मामलों में भी बढ़चढ़ कर भाग लिया तथा महामारी के इस दौर में प्रत्येक पुलिसकर्मी समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ एक मज़बूत स्तम्भ के रुप में ख़डा नज़र आता है। इस प्रकार पुलिस द्वारा किया जा रहा कार्य महात्मा गांधी के उस कथन को चरितार्थ कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था ''स्वराज में हमें ऐसा पुलिस बल प्राप्त होगा जो अनुशासित व बुद्धिमान होगा। वह सहज रुप से समाज की सब प्रकार से सहायता करेगा तथा परस्पर सहयोग से अपराध व अपराधियों पर काबू पा सकेगा।''

एक अन्तराल के बाद राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा न्यूज लेटर का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के चलते यह संयुक्तांक प्रकाशित किया जा रहा है। न्यूज लेटर किसी भी संस्थान की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होने के साथ नये विचारों तथा अद्यतन सूचनाओं की जानकारी का एक जरिया भी है। मुझे आशा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी भविष्य में न्यूज लेटर का प्रकाशन निर्बाध रुप से जारी रखेगी।

जय हिन्द।

भूपेन्द्र सिंह
महानिदेशक पुलिस

सम्पादकीय

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियो से जूझ रहा है। कोरोना वायरस ने आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। कोरोना के प्रभाव का आंकलन पूर्णत नही होने के कारण सामाजिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण देश की बडी आबादी के सामने रोजगार की सुरक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, जिससे देश का प्रत्येक वर्ग तनावग्रस्त हो गया हैं, इस तनाव की परिणीति मुख्यतः आर्थिक एवं सामाजिक अपराधों में हो रही है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत पुलिस की भूमिका में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ है साथ ही पुलिस को नवीनतम चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। कोरोना संकट से जूझने में पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती स्वयं की सुरक्षा की भी है। पुलिसकर्मियों को एक तरफ तो कोरोना जैसे घातक वायरस से स्वयं को बचाना होगा दूसरी तरफ इस दौरान लोगों में उत्पन्न तनाव के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

कोरोना से यह लड़ाई अभी जारी है इसलिए हमें हमारे पुलिस के ध्येय वाक्य सेवार्थ कटिबद्धता की पूरे मनोयोग से पालना करनी है। साथ ही साथ स्वयं की सुरक्षा के लिए "Better safe than sorry" के सिद्धांत का भी पूरी तरह से पालन कर स्वंय की एवं समाज की सुरक्षा करनी है तथा अपने सीमित संसाधनों से अपने दैनिक कार्यों के संपादन के साथ ही कोरोना से संबंधित कार्यों को भी संपादित करना होगा।

इन परिस्थितियों में राजस्थान पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए है। इस अंक में पुलिस के ऐसे ही कार्यों का उल्लेख करने के साथ साथ एक प्रशिक्षु आई.पी.एस. के इस संबंध में विचार भी प्रकाशित किए जा रहे है।

राजीव शर्मा
निदेशक

"Compassionate Police for Empowered Police", "Committed to serve (सेवार्थ कटिबद्धता), "Sewa Suraksha Sahyog", "Duty, Honour, Compassion", "Security, Service and Sacrifice" "Mridhu Bhave Dhrida Kruthye"("Soft in Temperament, Yet Firm in Action") etc. are few of the motto of different State police across the country. All these mottos really came to be true in this Corona times where when many departments officially closed their work, police department actually increased its work to support and take care of the vulnerable.

Along with basic policing like law & order management, crime prevention Police also did all kind of work including enforcement of lockdown, convincing people not to move out and follow social distancing norms, providing support for medical screening & establishing quarantine centres, providing rations and essentials to poor through coordination with government and NGOs, sending the migrants to their homes, developing contact tracing mechanisms and disseminating awareness videos. In the altar of the duty in corona, hundreds of police sacrificed their lives.

Police across different places used different mechanism to achieve and do these tasks. Some expanded police role to food distribution and vulnerable care, while some used innovative ways like corona masks at traffic points and others used stick and beating policy. But overall, the image of police and public trust on police increased immensely post corona efforts and work by police.

Now few questions arise which need deeper analysis remain pertinent. One is that what more challenges that are needed to overcome which took backseat given our major efforts being diverted to corona management. Secondly, how to leverage on this increased public trust on police and sustain it.

In these corona times, there is possibility of increased illegal mining and transport since less police personnel are manning such nakabandi posts. Similarly, there is proved increased in cyber crimes against women and children, sextortion and pornography. Also, cyber frauds have increased sharply. Attacks have soared 86% in the four weeks roughly between March and April 2020. Cyber criminals have launched thousands of fraud portals similar to PM CARES Fund luring caring citizens to make donation for welfare. Since state is stressed in terms of revenue, many police modernization and repair maintenance of police projects and housing, new infrastructure can also be delayed which can have cost overrun burden. Also, community outreach and regular meetings with community members not done can also be justified citing corona. Equally important is the fact of ensuring proper safety provisions including masks, hand sanitizers at all places all the times. All these issues need due care and attention.

Regarding leveraging the increased public trust, more vigorous steps of community outreach need to be taken. Concepts like Police Mitra which has been used to enforce lockdown, conduct medical screening, blood donation and food distribution drives which has been quite successful need to be expanded to act as human intelligence in post corona time to act as eyes and ears of the police. This relationship will community has to be strengthened. Community Police wing of Police can identify some of these community volunteers, recognize and reward them for their efforts. Similarly, currently used NGOs and civil society need to be institutionalized to be used regularly. BPR&D should compile the good work done by different state police and disseminate for further use. Similarly, a data repository of good NGOs, experts, volunteers at local levels along with domain expertise and area of operations has to be maintained. Parallelly, mass awareness drives about traffic rules, road safety, anti-corruption, women & child rights, consumer rights etc should be launched immediately. Given current positive image, these efforts will evoke positive response and cooperation from general public. The fact that soft skill and calmness in dealing with common public has given more respect to the police personnel in this corona time should be reemphasized multiple times in training courses or daily roll calls etc. which will ensure that our police personnel deal with people with calmness, empathy and compassion, whereby ensuring the complete shift from Police Force to Police Service

Sumeet Meharda

IPS, RR 72

अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम का अभूतपूर्व प्रदर्शन पर राजस्थान पुलिस अकादमी में स्वागत

पुलिस कॉम्पलेक्स भोंडसी, गुरूग्राम, हरियाणा में दिनांक 05.02.2020 से 14.02.2020 तक आयोजित की गई 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं माउण्टेड पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस की टीम नें अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए राज्यों में टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस टीम ने विभिन्न स्पर्द्धाओं में भाग लेते हुए पाँच स्वर्ण, तीन रजत व तीन कांस्य पदक सहित कुल ग्यारह पदक जीते हैं। इसके साथ ही इस टीम ने पाँच ट्रॉफियां एवं तीन विशिष्ट पदक भी हासिल किये हैं।

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में केन्द्रीय पुलिस संगठनों एवं विभिन्न राज्यों की कुल 16 टीमों एवं 289 घोड़ों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। राजस्थान पुलिस की टीम इस प्रतियोगिता के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी निरन्तर इस टीम की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी प्रेरणा एवं टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम सामने आया है।

राजस्थान पुलिस की टीम के श्री भागचन्द कानि0 1278, ने शो जम्पिंग सिक्स बार ऑपन प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक के साथ अलवर ट्रॉफी, शो जम्पिंग ऑपन में स्वर्ण पदक के साथ एम0पी0 पुलिस ट्रॉफी, वनडे इवेन्ट ऑपन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक के साथ नागालैण्ड ट्रॉफी, मेंटल हजार्ड टेस्ट में स्वर्ण पदक के साथ लाला बी0के0 देव ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही श्री भागचन्द ने बेस्ट राईडर की मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा जमाया। जैनी घोड़ी ने बेस्ट हॉर्स की चेतक ट्रॉफी जीती। यहां यह उल्लेखनीय है कि बेस्ट हॉर्स एवं बेस्ट राईडर की ट्रॉफी दूसरी बार राजस्थान के प्रतिभागियों द्वारा जीती गई है। पहली बार रनर अप ट्रॉफी राजस्थान पुलिस द्वारा जीती गयी।

राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम कर चुके श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 98 ने ड्रेसाज टेस्ट मिड़ियम व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीता। आई.जी.पी. श्री रूपिन्दर सिंघ द्वारा ऑपन हेक्स इवेन्ट प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक, श्री महेश कुमार कानि0 91 ड्रेसाज टेस्ट नॉविस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक, श्री भाग चन्द कानि0 1278 ने वनडे इवेन्ट नॉविस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक, श्री मुकेश कुमार कानि0 88 ने शो जम्पिंग नॉविस

नॉरमल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में कांस्य पदक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 98 ने सिक्स बार ऑपन में कांस्य पदक, श्री मुकेश कुमार सईस ने सईस प्रतिस्पर्द्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है।

इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री दुष्यन्त चोटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार ने राजस्थान की टीम व खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। राजस्थान टीम के मैनेजर श्री सुनील कुमार, कम्पनी कमाण्डर, राजस्थान पुलिस अकादमी ने मुख्य अतिथि से ट्रॉफियां प्राप्त कर टीम द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत की जानकारी दी।

राजस्थान पुलिस के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए श्री हेमन्त प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने पूरी टीम का अकादमी में भव्य स्वागत किया एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाऐं दी।

२०वीं अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने दो पदक जीते

19 से 23 फरवरी तक सिकन्दराबाद में आयोजित 20वीं अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक जीते। देश के सभी राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों की टीमों से कडी प्रतिस्पर्धा के बीच इस प्रतियोगिता में ''बिगुलर्स'' की टीम ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता वहीं ''ब्रास बैण्ड'' ने कांस्य पदक जीता।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में गठित सेन्ट्रल बैण्ड ने इस प्रतियोगिता में अब तक तीन बार स्वर्ण, तीन बार रजत तथा दो बार कांस्य पदक जीत कर अपना वर्चस्व कायम रखा है। राजस्थान पुलिस की ''बिगुलर्स'' की टीम को इस प्रतियोगिता में पहले कभी भी कोई पदक हासिल नहीं हुआ था। इस बार इस टीम ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इसी प्रकार नव गठित पाईप बैण्ड ने भी पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि इस पाईप बैण्ड में 14 नवनियुक्त महिला रिक्रूट शामिल है। प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान पुलिस के इस कदम की सभी टीमों द्वारा सराहना की गई।

इस टीम के वापस लौटने पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्रीमति नीना सिंह ने टीम के सभी सदस्यों का सम्मान किया तथा उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित कर अग्रिम शुभकामनाऐं दी। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक, उप निदेशक एवं प्राचार्य एवं सभी अधिकारियों ने इस प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई देते हुए सभी उच्चाधिकारियों का उत्साहवर्धन तथा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से आवासविहीन/जरुरतमंदों को गर्म कपडों का वितरण

प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से श्रीमान पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के आह्वान पर आवासविहीन/जरुरतमंद नागरिकों को सर्दी के मौसम में गर्म कपडों का वितरण किया गया।

इस मुहीम में राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साथ संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं ने भी अपना सक्रिय योगदान दिया। अकादमी की ओर से जनवरी माह में 440 गर्म कम्बल, 100 शॉल तथा स्टॉफ द्वारा एकत्रित किए गए गर्म कपडे यथा स्वेटर, शॉल, जैकिट इत्यादि का वितरण अकादमी के प्रशिक्षकों /प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित हुआ कैंसर जागरुकता शिविर

सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता की श्रृंखला में राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 मार्च 2020 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैंसर जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। फैडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एण्ड गाइनोकॉलोजिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया तथा जयपुर ऑब्स्टेट्रिक एण्ड गाइनोकॉलोजिकल सोसायटी के तत्वावधान में अकादमी स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में सरवाईकल तथा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग एवं अवेयरनैस कैम्प का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर कोकून चिकित्सालय दुर्गापुरा, कांवटिया चिकित्सालय शास्त्रीनगर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय सीतापुरा जयपुर की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को कैसर के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

इस अवसर पर कुल 134 महिलाओं ने चिकित्सा जांच करवाई। इनमें बडी संख्या में राजस्थान पुलिस अकादमी मे कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारी तथा प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित रही। इस शिविर में दी राजस्थान पुलिस मैन्स फेमिलिज वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्षा डॉ. प्रतिभा यादव, उपाध्यक्षा श्रीमति राशि राठौर तथा संयुक्त सचिव श्रीमति हर्षला महरडा सहित सोसायटी की

पदाधिकारियों ने भाग लेकर उपस्थित सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया।

Course on Stress free living

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 04.02.2020 से 06.02.2020 तक Stress free living विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उप निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुलिस में बढते तनाव व इससे जुडे कारणों का विश्लेषण करने हेतु इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा तनाव के कारण व निवारण, नशे के दुष्प्रभावों, नकारात्मक सोच के परिणाम तथा सकारात्मकता के प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य आदि विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।

ToT on Investigation power to constables

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 10.02.2020 से 15.02.2020 तक ToT course on Investigation power to constables विषय पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एक पुलिस उप अधीक्षक, 07 पुलिस निरीक्षक, 09 उप निरीक्षक सहित कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे कानिस्टेबल जो स्नातक है तथा जिनकी 09 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है, को सामान्य श्रेणी के अपराधों के अनुसंधान के अधिकार प्रदान किए है। ऐसे कानिस्टेबलों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जिले से 2 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षक के रुप में चयनित किया गया। इन पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण की विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं योजना, प्रशिक्षण पद्धतियां, प्रशिक्षण विश्लेषण, संचार कौशल, पब्लिक स्पिकिंग, व्यवहार कौशल आदि के संबंध में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों द्वारा भी व्याख्यान दिए जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

Basic training programme on Human Rights

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.02.2020 को एक दिवसीय Basic training programme on Human Rights आयोजित किया गया जिसमें उप निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वक्ताओं ने मानवाधिकारों कें संरक्षण में पुलिस की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रतिभागियों को पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस की भूमिका को रेखांकित करते हुए मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई।

Improvement in Police Behaviour

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 02.03.2020 से 05.03.2020 तक Improvement in Police Behaviour विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस निरीक्षक, 04 कम्पनी कमाण्डर सहित कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री मनीष अग्रवाल, उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस

अकादमी द्वारा सभी प्रतिभागियों को पुलिस के अपेक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी दी। उनके द्वारा प्रतिभागियों को टीम में बांट कर उनसे रोल प्ले करवाया गया।

प्रतिभागियों को सवाई मान सिंह अस्पताल का भ्रमण करवाया गया जहां अपने कार्य सम्पादन के दौरान सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से जनता की सुनवाई करते हुए सेवा को अंजाम दिये जाने संबंधी विभिन्न पहलुओं को प्रतिभागियों ने समझा।

प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को जनमित्र पुलिस की अवधारणा, जनता की पुलिस से अपेक्षाऐं, सामुदायिक पुलिसिंग के विभिन्न आयामों पर जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री कैलाश चन्द्र, उप महानिरीक्षक ने संचार कौशल तथा तनाव प्रबन्धन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने व्याख्यान के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

Investigation of Economic offences

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 02.03.2020 से 06.03.2020 तक Investigation of Economic offences विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 02 पुलिस उपाधीक्षक, 13 पुलिस निरीक्षक, 02 कम्पनी कमाण्डर, 01 उप निरीक्षक सहित कुल 18 अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने आर्थिक अपराध से जुडे विभिन्न मुद्दों यथा धोखाधडी, भूमि विवाद, क्रिप्टो करेंसी एवं ब्लॉक चेन, साईबर आर्थिक अपराध, पौंजी स्कीम्स, बैंकिंग फ्रॉड आदि विषयों के बारे में जानकारी दी। व्याख्यानों के साथ साथ प्रतिभागियों को इन मुद्दों से जुडी विभिन्न केस स्टडी के बारे में भी जानकारी दी गई।

Refresher course for police inspectors

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.03.2020 से 21.03.2020 तक Refresher course for police inspectors आयोजित किया गया जिसमें कुल 17 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधि में हुए नवीनतम संशोधनों की जानकारी देने के साथ प्रतिभागियों को पुलिस कार्य हेतु राज्य सरकार, विभिन्न आयोगों, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रतिभागियों को व्यक्तित्व विकास से जुडे विभिन्न विषयों जैसे संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, टीम निर्माण, नेतृत्व कौशल, तनाव प्रबन्धन, समय प्रबन्धन, नैतिक आचरण आदि के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समय समय पर प्रतिभागियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय निर्णयों पर चर्चा की तथा प्रतिभागियों को अनुसंधान कौशल के बारे में भी जानकारी दी।

स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों की मात्रा के निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला

दिनांक 22 अप्रेल 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्रिमीनल अपील संख्या 722/17 हीरा सिंह बनाम भारत संघ में मामले में महत्वपूर्ण न्याय निर्णय देते हुए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा के निर्धारण के संबंध में आदेश पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति इन्दिरा बैनर्जी एवं न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खण्डपीठ ने ई. मिचेल राज बनाम इन्टेलीजेन्स ऑफिसर, नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पलटते हुए कहा कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा के निर्धारण में तटस्थ पदार्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 2(viiक) के अन्तर्गत वाणिज्यिक मात्रा तथा धारा 2(xxiiiक) के अन्तर्गत अल्प मात्रा के संबंध में केन्द्र सरकार का अधिसूचना द्वारा मात्रा निर्धारण की शक्तियां प्राप्त है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में अधिनियम में हुए संशोधनों के अनुरुप दिनांक 19.10.2001 को अधिसूचना प्रकाशित कर उपर्युक्तानुसार मात्राओं का

निर्धारण किया गया था, जिसके आधार पर सजा का निर्धारण किया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी अधिसूचना को प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थों को जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों के मिश्रण से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक आयोजित बेसिक प्रशिक्षण कोर्सेज

क्र. सं.	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	49	21.10.19 से 01.08.2020	64
2.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	50	24.02.20 से 19.10.2020	1
3.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	46	23.07.19 से 22.07.2020	1
4.	प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) से उप निरीक्षक (एपी) के पद पर रीशफल उनि (प्रशिक्षु) का सैण्डविच कोर्स	23	04.03.2020 से 08.04.2020	2
5.	कानि. रिक्रूट प्रारंभिक प्रशिक्षण	80	27.05.19 से 24.03.2020	58
6.	महिला कानि. रिक्रूट प्रारंभिक प्रशिक्षण	79	27.05.19 से 24.03.2020	24
7.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) आधारभूत प्रशिक्षण	82	11.11.19 से 04.05.2020	5
8.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण	14	18.03.19 से 24.03.2020	98
9.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स	15	07.10.19 से 26.09.2020	21
10.	कानि रिक्रूट (घुडसवार) व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स,	7	21.11.19 से 19.06.2020	1
	कुल योग			**275**

दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक आयोजित पीसीसी प्रशिक्षण

क्र. सं.	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	कानि. (घुडसवार) से हैड कानि. (घुडसवार) पद की पीसीसी	14	04.11.19 से 10.01.2020	01
2.	उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पीसीसी	79	09.12.19 से 28.01.2020	163
3.	उप निरीक्षक (बैण्ड) से पुलिस निरीक्षक (बैण्ड) पद की पीसीसी	03	09.12.19 से 11.02.2020	01
4.	उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पीसीसी	80	17.02.20 से 24.06.2020	121
	कुल योग			**286**

01.01.2020 से 31.03.2020 तक आयोजित विशिष्ठ कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	Stress Free Living	04.02.20 से 06.02.20	32
2	Improvement in Police Behaviour	17.02.20 से 20.02.20	22
3	Improvement in Police Behaviour	02.03.20 से 05.03.20	17
4	Investigation of Economic Offences	02.03.20 से 06.03.20	18
5	Investigation of Cyber Crime Cases	17.03.20 से 21.03.20	12
6	Refresher course for Inspectors	17.03.20 से 21.03.20	17
7	Training of Trainers (Investigation Power to Constables)	10.02.20 से 15.02.20	17
8	Investigators on Women's Safety (BPR&D)	10.02.20 से 14.02.20	31
9	Investigators on Women's Safety (BPR&D)	24.02.20 से 28.02.20	31
10	Mock TrialTraining on Trafficking in persons (UNODC)	17.02.20 से 19.02.20	50
11	Basic training programme on Human Rights	12.02.20	21
	कुल योग		**268**

राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों को मिला केन्द्रीय गृह मन्त्री पदक

दिनांक 08.06.2020 को पुलिसमहानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों को केन्द्रीय गृह मन्त्री पदक प्रदान किए। केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्ठता के लिए वर्ष 2017–18 के लिए श्री आलोक कुमार पुलिस निरीक्षक हाल पुलिस उपाधीक्षक, श्री महेश कुमार उप निरीक्षक हाल पुलिस निरीक्षक, श्री हवा सिंह प्लाटून कमाण्डर व श्री प्रहलाद हैड कानिस्टेबल को पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाऐं दी।

Investigation of Economic offences

कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियों एवं देशभर में लॉकडाउन के बाद राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 22.06.2020 से 26.06.2020 तक Investigation of Economic offences विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 11 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर्थिक अपराधों के अनुसंधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रुप से ऑनलाईन बैंकिंग अपराध एवं उनकी रोकथाम, भूमि संबंधी अपराधों के अनुसंधान, संगठित आर्थिक अपराध, वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों की तस्करी, जालसाजी आदि के अपराध अनुसंधान व इनसें संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री कैलाश चन्द, उप महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस अधिकारियों के लिए नेतृत्व के गुणों तथा पुलिस कार्यप्रणाली में संचार एवं संप्रेषण के महत्व की जानकारी दी तथा पुलिस अधिकारियों को तनावमुक्त होकर कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

एडल्ट्री (व्यभिचार) अब नहीं अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को किया खारिज

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एडल्ट्री से जुड़ी आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने इसे मनमाना, एकपक्षीय और महिलाओं के खिलाफ करार दिया। केरल के एन.आर. आई जोसेफ शाइन ने आई.पी.सी. की धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें ''मैं, मेरा और तुम सभी शामिल हैं। महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करने वाला कोई भी प्रावधान संवैधानिक नहीं नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में महिलाओं के अधिकार भी होते हैं, लिहाजा समाज में महिलाओं के साथ गैर–बराबरी नहीं की जा सकती।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 के अनुसार यदि कोई पुरूष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता है तो वह परस्त्रीगमन के अपराध का दोषी होगा। यह बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इस अपराध के लिए पुरूष को पांच साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान था। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि व्यभिचार आपराधिक कृत्य नहीं होना चाहिए लेकिन इसे अभी भी नैतिक रूप से गलत माना जाएगा। इसे विवाह खत्म करने तथा तलाक लेने का आधार माना जाएगा।

चूरू पुलिस का महामारी के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग अभियान

कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरुक करने, आपदाकाल में सकारात्मकता बनाए रखने तथा आमजन में पुलिस की कार्यप्रणाली में सहभागिता बनाने के लिए चूरु की पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम द्वारा कम्यूनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया। इस अभियान में आम जन के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के सेलेब्रिटी, विभिन्न संस्थाओं को जोडा जाकर निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किए गए :–

1. चूरु पुलिस ऑन लाईन लॉकडाउन प्रतियोगिता
2. ऑनलाईन डांस प्रतियोगिता
3. ''चूरु फिट है'' अभियान
4. ''मेरा चूरु मेरा फर्ज'' अभियान
5. चूरु पुलिस ऑनलाईन सेशन सीरीज
6. फोटो/वीडियो आधारित सोशल मीडिया अभियान
7. टॉक विद कॉप
8. अपनी बात अपनों के साथ
9. चूरु चौपाल

दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक आयोजित बेसिक प्रशिक्षण कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	49	21.10.19 से 01.08.2020	64
2.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	50	24.02.20 से 19.10.2020	1
3.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	46	23.07.19 से 22.07.2020	1
4.	प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) से उप निरीक्षक (एपी) के पद पर रीशफल उनि (प्रशिक्षु) का सैण्डविच कोर्स	23	04.03.20 से 08.04.20	2
5.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) आधारभूत प्रशिक्षण	82	11.11.19 से 04.05.2020	5
6.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स	15	07.10.19 से 26.09.2020	21
7.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स	16	11.05.20 से 28.01.21	5
8.	कानि. रिक्रूट (घुडसवार) व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स,	7	21.11.19 से 19.06.2020	1
	कुल योग			**100**

दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक आयोजित पीसीसी प्रशिक्षण

क्र. सं.	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद का इन्डेक्शन कोर्स	5	29.06.20 से 07.08.2020	33
2.	उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पीसीसी	80	17.02.20 से 24.06.20	121
	कुल योग			**154**

01.04.2020 से 30.06.2020 तक आयोजित विशिष्ठ कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	Investigation of Economic offences	22.06.20 से 26.06.20	11
	Total		11

Investigation of Cases under POCSO Act 2012

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 01.07.2020 से 03.07.2020 तक Investigation of Cases under POCSO Act 2012 विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 02 उप अधीक्षकों, 02 पुलिस निरीक्षकों, 03 कम्पनी कमाण्डर, 08 उप निरीक्षकों तथा 01 प्लाटून कमाण्डर सहित कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पोक्सो एक्ट के अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारियों को विधिक प्रावधानों तथा नवीनतम न्याय निर्णयों से अवगत करवाना रहा।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त विषयों के साथ साथ प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों ने पोक्सो एक्ट के नवीनतम प्रावधानों, अनुसंधान के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली हेतु जारी दिशा निर्देशों, अनुसंधान के दौरान फोरेंन्सिक साक्ष्यों के महत्व, मेडीको–लीगल पक्ष आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त विषयों के साथ साथ प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों ने पोक्सो एक्ट के नवीनतम प्रावधानों, अनुसंधान के दौरान अपनाई जाने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री रवि प्रकाश मेहरडा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स एवं एएचटी ने प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए मानव तस्करी तथा बालकों के प्रति यौन हिंसा के बढते प्रकरणों पर चिंता जाहिर की तथा पुलिस अधिकारियों को ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने हेतु ठोस कदम उठाने को कहा तथा समग्र रुप से ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाने की जानकारी दी।

"Station House Management"

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 06.07.2020 से 10.07.2020 तक Station house management विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 08 पुलिस निरीक्षकों तथा 09 उप निरीक्षकों सहित कुल 17 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षकों को पुलिस थानों के प्रबन्धन के साथ साथ प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं यथा संचार, संप्रेषण, तनाव प्रबन्धन, समय प्रबन्धन आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मॉडल पुलिस थाने की अवधारणा, पुलिस थानों पर मानव प्रबन्धन, रिकॉर्ड प्रबन्धन आदि के बारे में विषय विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस आयोजना एवं कल्याण ने सभी प्रतिभागियों को पुलिस थाने के बेहतर संचालन के बारे में जानकारी दी तथा इस संबंध में अपने अनुभव भी साझा किए। श्री गुप्ता ने अपने उद्‌बोधन के पश्चात सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

ToT for Police officers at police station reception centers

प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक ToT for Police officers at police station reception centers विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 22 पुलिस निरीक्षकों, 55 उप निरीक्षकों तथा 02 सहायक उप निरीक्षकों सहित कुल 79 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्‌देश्य पुलिस थानों पर स्वागत कक्षों की उपयोगिता, थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार तथा थानों पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों का त्वरित तथा विधिपूर्ण निस्तारण करना रहा।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपर्युक्त विषयों के साथ साथ प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों ने संचार एवं संवाद की विभिन्न विधाओं, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता, सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती नीना सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) ने प्रशिक्षण की उपादेयता पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की तथा उन्हें संवेदनशील होकर कार्य करने का आह्वान किया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

"Refresher Course for Police Inspectors"

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.08.2020 से 21.08.2020 तक Refresher Course for Police Inspectors विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 13 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षकों को नवीनतम विधिक प्रावधानों की जानकारी देने के साथ साथ पुलिस थाने के सामान्य प्रबन्धन, साईबर अपराधों के अनुसंधान से संबंधित जानकारी, मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित पहलुओं, भूमि विवादों से संबंधित प्रकरणों के अनुसंधान आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री वी के सिंह, महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सीबी) ने पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को पुलिस विभाग की एक प्रमुख कडी बताते हुए प्रतिभागियों से पुलिस अनुसंधान, कानून व्यवस्था आदि के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह से कार्य करने तथा न्याय के उद्दश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने की अपेक्षा जाहिर की। उन्होंनें सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

Investigation of Cases under POCSO Act 2012

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 25.08.2020 से 27.08.2020 तक Investigation of Cases under POCSO Act 2012 विषय पर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 02 उप अधीक्षकों, 09 पुलिस निरीक्षकों तथा 17 उप निरीक्षकों सहित कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का

प्रमुख उद्देश्य पोक्सो एक्ट के अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारियों को विधिक प्रावधानों तथा नवीनतम न्याय निर्णयों से अवगत करवाना रहा।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त विषयों के साथ साथ प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों ने पोक्सो एक्ट के नवीनतम प्रावधानों, अनुसंधान के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली हेतु जारी दिशा निर्देशों, अनुसंधान के दौरान फोरेंन्सिक साक्ष्यों के महत्व, मेडीकोलीगल पक्ष आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए बालकों के प्रति होने वाले इस प्रकार के घृणित अपराधों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाए जाने पर बल दिया तथा सभी पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के अनुसंधानों में प्रोफेशनल एप्रोच अपनाये जाने का आह्वान किया।

स्वतन्त्रता दिवस समारोह २०२०

राजस्थान पुलिस अकादमी में 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतन्त्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर यह समारोह सादगी पूर्वक आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के सभी अधिकारी, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में निदेशक महोदय ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व लुटाने वाले स्वतन्त्रता सैनानियों की शहादत को याद करते हुए देश की एकता एवं अखण्डता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड 19 जैसी महामारी के दौरान सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर निदेशक महोदय ने राजस्थान पुलिस अकादमी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को पुरुस्कृत किया।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में 20 जुलाई से 22 अगस्त 2020 तक भारतीय पुलिस सेवा (आर आर 72) बैच के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुरुप संचालित किया गया।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 6 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को राजस्थान राज्य की संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक तथा पुलिस के मूलभूत ढांचे की जानकारी दी गई। राजस्थान के स्थानीय अधिनियमों की जानकारी देने के साथ साथ इन अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध अनुसंधान के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली तथा राज्य पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों के संबंध में भी जानकारी दी गई।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों (सेवा निवृत्त एवं सेवारत) ने व्याख्यान दिया। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी हेतु इन प्रशिक्षु अधिकारियों को 2 दिन के लिए हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में अटैच किया गया। राजस्थान के भौगोलिक स्वरुप, संस्कृति आदि की जानकारी हेतु इन अधिकारियों का 07 दिवस का राजस्थान का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया।

क्रम सं.	नाम अधिकारी	गृह राज्य	शैक्षणिक योग्यता
1	श्री बृजेश ज्योति उपाध्याय	उत्तर प्रदेश	B.E. (Computer engineering)
2	सुश्री रंजीता शर्मा	हरियाणा	B.A. (Hons.) M.A. (Mass communication
3	श्री प्रवीण नायक	तेलंगाना	B.Tech. ECE
4	सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी	मध्य प्रदेश	B.Tech. ECE
5	श्री हरि शंकर	उत्तर प्रदेश	B.A. Program
6	श्री सुमित मेहरडा	राजस्थान	M.Tech. ECE (Energy system engineering)

सहमति से समलैंगिक रिश्ते अब अपराध नहीं- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

माननीय उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की पांच न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने **नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ** के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में आई.पी.सी. की धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध भी अपराध था। फैसला सुनाते हुये मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि "किसी को भी उसके व्यक्तिगत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 377 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के अधिकार का हनन करती है। यौन प्राथमिकता जैविक एवं प्राकृतिक है। अन्तरंगता एवं निजता किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रश्न है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।" मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने धारा 377 को अतार्किक व मनमाना करार दिया है। खण्डपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एल.जी.बी.टी. समुदाय को भी अन्य नागरिकों की तरह जीने का हक है। उन्हें भी दूसरे लोगों के समान ही तमाम अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने से इनकार कर दिया।

खण्डपीठ ने वर्ष 2013 में दिए गए सुरेश कौशल वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी प्रतिगामी करार दिया। साथ ही कहा कि निजी तौर पर की जाने वाली अंतरंगता निहायत ही व्यक्तिगत पसंद का मामला है। साथ ही खण्डपीठ ने यह भी कहा है इच्छा के विरुद्ध बनाया गया समलैंगिक सम्बन्ध अपराध की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक आयोजित बेसिक प्रशिक्षण कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आई.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण	72	20.07.20 से 22.08.20	6
2.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	49	21.10.19 से 01.08.2020	64
3.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण,	50	24.02.20 से 19.10.2020	1
4.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	46	23.07.19 से 22.07.2020	1
5.	प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) से उप निरीक्षक (एपी) के पद पर रीशफल उनि (प्रशिक्षु) का सैण्डविच कोर्स	23	04.03.20 से 23.07.20.20	2
6.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का सैण्डविच कोर्स	43	20.07.20 से 21.08.20	1
7.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का सैण्डविच कोर्स	44	31.08.20 से 28.09.20	1
8.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण	15	07.10.19 से 26.09.2020	21
9.	कानि. रिक्रूट (बैण्ड) व्यवसासिक प्रशिक्षण	16	11.05.20 से 28.01.21	5
10.	खेल कोटे से भर्ती कानि. रिक्रूट प्रारम्भिक प्रशिक्षण	84	20.07.20 से 01.09.20	4
11.	कनिष्ठ सहायकों (लिपिक ग्रेड–2) के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण	1	27.07.20 से 26.08.20	56
	कुल योग			**162**

दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक आयोजित पीसीसी प्रशिक्षण

क्र.सं	कोर्सेज का नाम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद का इन्डेक्शन कोर्स	5	29.06.20 से 07.08.20	33
2.	पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद का इन्डेक्शन कोर्स	6	07.09.2020 से 16.10.20	34
3.	हैड कानि. से सहायक उप निरीक्षक पद की पीसीसी	57	20.07.20 से 21.09.20	126
4.	कानि. (बैण्ड) से हैड कानि. (बैण्ड) पद की पीसीसी	10	13.07.20 से 18.12.20	1
	कुल योग			**194**

01.07.2020 से 30.09.2020 तक आयोजित विशिष्ठ कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	Stress Free Living	01.07.20 से 03.07.20	18
2	Investigation of Economic Offences	13.07.20 से 17.07.20	16
3	Investigation of Cases under POSCO Act-2012	01.07.20 से 03.07.20	16
4	Investigation of Cases under POSCO Act-2012(On line)	25.08.20से 27.08.20	28
5	Investigation of Organized Crime	06.7.20 से 10.07.20	15
6	Station House Management	06.7.20 से 10.07.20	17
7	Art of Supervision of Investigation for Senior Officers	17.08.20 से 21.08.20	9
8	Cyber Intelligence, Surveillance & Cyber Crime Investigation (Basic)	21.07.20 से 25.07.20	41
9	Cyber Intelligence, Surveillance & Cyber Crime Investigation(Advance)	27.07.20 से 30.07.20	35
10	ToT on Reception centers at police station	27.07.20 से 31.07.20	79
11	Training Course On "Basic of Traffic Management and Essentials of Driver Management".	04.08.20	65
12	Refresher course for Inspectors	17.08.20 से 21.08.20	13
	कुल योग		**352**

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Sharma, IPS, Director

Editor
Dheeraj Verma, Inspector

Members
Sh. Kailash Chandra, DIG
Sh. Manish Agarwal, IPS, DD
Sh. Karan Sharma, AD
Sh. Rewant Dan, AD
Sh. Saurabh Kothari, AD
Smt. Suman Chaudhary, AD
Sh. Jeev Prakash, AD

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : dirrpa@gmail.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097